

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों (Candidates) के प्रमाण-पत्रों की सत्यापन (Certificate Verification) हेतु 15.05.2019 (बुधवार) को तिथि निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं.	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	मेधा क्रमांक	सत्यापन की तिथि
1	108401	सुश्री ऋचाशा ऋजु	5	15.05.2019 (बुधवार)
2	161603	श्री वैभव शुक्ल	227	
3	111122	श्री बिपुल भारद्वाज	256	
4	196364	श्री अभिमन्यु कुमार	267	
5	279372	श्री निशांत कुमार	274	
6	100114	श्री दीपेश कुमार	277	
7	109775	श्री अजय कुमार	280	
8	130131	सुश्री गीता	391	
9	173146	श्रीमती पल्लवी सागर	393	
10	135770	सुश्री प्रियंका कुमारी	433	
11	150797	श्री प्रतीक राज	446	
12	275480	श्री रीतम कुमार चौहान	475	
13	207636	सुश्री लवली कुमारी	480	


उपर्युक्त अभ्यर्थियों को ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थिता तथा प्रमाण-पत्रों का सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को प्रातः 10:00 बजे ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय), पुराना सचिवालय अवस्थित विभागीय "सभाकक्ष" में उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा छाया प्रतियों के तीन-तीन स्व:अभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे:-

- (i) मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
- (ii) इन्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- (iii) अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।

- (iv) अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी/नियोजित हों तो नियोक्ता (Employer) द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) ।
- (v) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए) ।
- (vi) जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC & EBC) हेतु) ।
- (vii) भू0पू0सै0 (EXSM)/ विकलांग वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र जो भारत सरकार / बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर, केन्द्र सरकार/ बिहार सरकार की सूची अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन मान्य हो ।
- (viii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।
- (ix) पासपोर्ट साईज का तीन फोटो ।
- (x) कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करें (Any Identity Card, Aadhar Card/Voter ID Card/ Driving Licence/ Passport etc)
- (xi) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) ।
- (xii) चरित्र तथा पूर्ववृत सत्यापन प्रपत्र की तीन मूल प्रति, जो विभागीय वेबसाईट www.rdd.bih.nic.in पर उपलब्ध है ।

- नोट:-** (1) कृपया लिखित अनुदेश ध्यान पूर्वक पढ़ें । अगर अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों के साथ इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए तो अभ्यर्थी के अभ्यर्थिता के विरुद्ध विधि सम्मत निर्णय ले लिये जायेंगे ।
- (2) कृपया अन्य कोई जानकारी के लिए सुश्री आरती, विशेष कार्य पदाधिकारी, के मोबाईल नं0-9431818441 एवं श्री विनय कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी के 9471007148, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना पर संपर्क कर सकते हैं।



 (राधा किशोर सिंघ) संयुक्त सचिव,
 ग्रामीण विकास विभाग,
 बिहार, पटना

जापांक:- 422727

दिनांक:- 03/05/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-04-01/2019


प्रतिलिपि- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।


 संयुक्त सचिव,
 ग्रामीण विकास विभाग,
 बिहार, पटना

जापांक:- 422727

दिनांक:- 03/05/2019


प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।


संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

जापांक:- 422727

दिनांक:- 03/05/2019

प्रतिलिपि- श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ)/ सभी संबंधित अनुशंसित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो
प्रति यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है.
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाए जिसे यह सत्यापन-प्रपत्र भेजा गया है. ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है.
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं.

1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें) कुलनाम
नाम

2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं., गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं., गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर और जिला मुख्यालय का नाम

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें.

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो. 21 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें.

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं., गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4
	:		

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित, यदि कोई हो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति	:				
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें					

6. उस पुत्र/पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं -

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कॉलम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं?
1	2	3	4	5
	:			

7. राष्ट्रियता

- (क) जन्म तिथि (क)
- (ख) वर्तमान आयु (ख)
- (ग) मैट्रीकुलेशन के प्रमाण-पत्र में दी गई आयु (ग)

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)
- (ख) आप किस जिले व राज्य से संबद्ध हैं? (ख)
- (ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से संबद्ध हैं? (ग)

9. (क) आपका धर्म :
- (ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ी जाति से संबद्ध हैं?
जिससे संबद्ध हों, उसका नाम लिखें.

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें.

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की ?
1	2	3	4

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं? यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें.

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
1	2	3	4

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी?

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया?

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? हाँ/नहीं
(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है? हाँ/नहीं
(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है? हाँ/नहीं
(घ) क्या कभी आपको नजरबंद किया गया है? हाँ/नहीं
(ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है? हाँ/नहीं
(च) क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है? हाँ/नहीं
(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है? हाँ/नहीं
(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है? हाँ/नहीं
(झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है? हाँ/नहीं
(ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? हाँ/नहीं
(ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया? हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों में कोई उत्तर 'हाँ' है तो उस मुकदमे/ गिरफ्तारी/ हिरासत/ अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति का पूर्ण ब्योरा दें.

(iii) नोट - (क) कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें, तथा (ख) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर 'हाँ' अथवा 'नहीं', जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाए.

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों.

1.
2.

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है.

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है. मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(क) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता

(ख) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है.